पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/स्थापना–व्यय–15–04 /2021 ज॰सं॰ 375

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 30/03/2022

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्ण रेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**15.000**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – **रूपये पन्द्रह लाख मात्र।**

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के संशोधित बजट उपबंध रू॰ 19580.81 लाख **(रू॰ एक सौ पंचानबे करोड़ अस्सी लाख एकासी हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरुप की जायेगी।

8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(संतोष कुमार)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।

11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।

15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2022 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 375 रॉची, दिनांक :– 30/03/2022

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 375 रॉची, दिनांक :– 30/03/2022

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज॰सं॰वि॰/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(संतोष कुमार)	(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)	30/03/22 (प्रशांत कुमार)
सहायक अभियंता	संयुक्त सचिव (अभि॰)	सचिव

परिशिष्ट I

पत्रांक 375 दिनांक 30/03/2022 का अनुलग्नक

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉध परियोजना

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2021–2022		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें		विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S27000100102000101	49S27000100102000112	49S27000100102000213	49S270001001102000315	49S27000100102000333	49S270001001102000334	49S27000100102000337	49S27000100102000442	49S270001001102000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	विशेष भू–अर्जन पदा0–1 स्वर्ण रेखा परियोजना मानगो–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	339.000	0.200	0.800	0.500	0.100	0.250	0.000	0.500	0.500	341.850	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	
		कुल आवंटन	354.000	0.200	0.800	0.500	0.100	0.250	0.000	0.500	0.500	356.850	
	अतिरिक्त आवटन का योग		15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	

आवंटित राशि– रूपये पन्द्रह लाख मात्र।

(संतोष कुमार)
सहायक अभियंता

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

30/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव